

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत, जिला चम्पावत।

आदेश संख्या: ८७/2025, दिनांक: 22 फरवरी, 2025

जिला चम्पावत स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/जे०एम० न्यायालय/सिविल जज (जू०डी०) टनकपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मामलों से सम्बन्धित रिमाण्ड, बेल व आवश्यक कार्य के निष्पादन हेतु माह अप्रैल 2025 से माह मार्च 2026 में अवकाश के दिनों में उक्त कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नवत व्यवस्था बनाई जाती है:-

जिला मुख्यालय चम्पावत		
क्र०सं०	माह	रिमाण्ड मजिस्ट्रेट
1	अप्रैल 2025	श्रीमती जहाँ आरा अंसारी, सिविल जज(जू०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
2	मई 2025	श्रीमती रश्मि गोयल, सिविल जज (सी०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
3	जून 2025	श्रीमती जहाँ आरा अंसारी, सिविल जज(जू०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
4	जुलाई 2025	श्रीमती रश्मि गोयल, सिविल जज (सी०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
5	अगस्त 2025	श्रीमती जहाँ आरा अंसारी, सिविल जज(जू०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
6	सितम्बर 2025	श्रीमती रश्मि गोयल, सिविल जज (सी०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
7	अक्टूबर 2025	श्रीमती जहाँ आरा अंसारी, सिविल जज(जू०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
8	नवम्बर 2025	श्रीमती रश्मि गोयल, सिविल जज (सी०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
9	दिसम्बर 2025	श्रीमती जहाँ आरा अंसारी, सिविल जज(जू०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
10	जनवरी 2026	श्रीमती रश्मि गोयल, सिविल जज (सी०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
11	फरवरी 2026	श्रीमती जहाँ आरा अंसारी, सिविल जज(जू०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
12	मार्च 2026	श्रीमती रश्मि गोयल, सिविल जज (सी०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।

वाह्य स्थित न्यायालय टनकपुर, जिला चम्पावत		
क्र०सं०	माह	रिमाण्ड मजिस्ट्रेट
1	माह अप्रैल 2025 से माह मार्च 2026 तक	श्रीमती प्रियांशी नगरकोटी, सिविल जज(जू०डी०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, टनकपुर।

*(Handwritten signature)*



यदि चम्पावत के बाह्य स्थित न्यायालय सिविल जज(जू0डी0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, टनकपुर के सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी अवकाश के दौरान विधिवत अनुमति से मुख्यालय से बाहर हो तो उनके स्थान पर अवकाश के दिनों में रिमाण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाही मुख्यालय पर नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की जायेगी।

यदि किसी कारणवश चम्पावत स्थिति मुख्यालय पर नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट विधिवत अनुमति से मुख्यालय से बाहर हो तो उनके स्थान पर रिमाण्ड संबंधित समस्त कार्यवाही उक्त मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित की जाएगी। जिसके द्वारा नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड संबंधित कार्य को करने की लिखित सहमति प्रदान की गई हो।

अपरिहार्य परिस्थितियों में उपरोक्त माह अप्रैल 2025 से माह मार्च 2026 तक अवकाश के दिनों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में आवश्यक वी0आई0पी/प्रोटोकाल कार्य सम्बन्धित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

तदनुसार सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक 22.02.2025

(निहारिका मित्तल गुप्ता)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत, जिला चम्पावत।

पत्रांक : 34/2025, कार्यालय सी0जे0एम0 चम्पावत, दिनांक फरवरी 22, 2025

प्रतिलिपि:- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, चम्पावत को सादर अवलोकनार्थ व निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, चम्पावत को समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
3. सिविल जज (सी0डी0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
4. सिविल जज (जू0डी0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
5. सिविल जज (जू0डी0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, टनकपुर।
6. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चम्पावत।
7. अधीक्षक जिला कारागार अल्मोड़ा एवं प्रभारी न्यायिक बंदीगृह लोहाघाट।
8. अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन चम्पावत व टनकपुर।
9. सिस्टम ऑफिसर जिला जजी चम्पावत को वेबसाइट में ड्यटी मजिस्ट्रेट से सम्बन्धित लिंक पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

दिनांक 22.02.2025

(निहारिका मित्तल गुप्ता)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।